

निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 251/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डवलपमेन्ट फाइनेन्स कार्पोरेशन लि. रजिस्टर्ड पता-14, 45/90 पी ब्लॉक,  
प्रथम फ्लोर, कनाट प्लेस, न्यू देहली एवं क्षेत्रीय कार्यालय-प्रथम फ्लोर, प्रेस ग्लोबल टावर, ए-3, 4, 5  
सैक्टर-125, नोएडा । प्राथी

बनाम

1. मनमोहन सोनी पुत्र श्री रमेश चन्द सोनी

पता :- प्लॉट नम्बर 40, जगदम्बा विहार, कालोनी-बी, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।

2. मन्जू सोनी पत्नी रमेश सोनी

पता :- प्लॉट नम्बर 40, जगदम्बा विहार, कालोनी-बी, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।

एवं ज्वैलरी चर्क, ए-1, बैंक कालोनी, पानो का दरीबा, सुभाष चौक, बडी चौपड के पास, जयपुर।

एवं प्लॉट नम्बर 93-ए, भारत विहार स्कीम-ए, जामडोली, आगरा रोड, जयपुर, पोल्डी फार्म के पास,  
जयपुर।

3. विकास सोनी पुत्र श्री रमेश चन्द सोनी

पता :- प्लॉट नम्बर 40, जगदम्बा विहार, कालोनी-बी, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act.2002

उपस्थित:-

1. श्री विनोद खाण्डल, अधिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 15.02.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.04.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मन्जू सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 93-ए, भारत विहार-ए आवासीय योजना, जामडोली, आगरा रोड, पोल्डी फार्म के पास, जयपुर क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज को बन्धक रख कर 10,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक सुनिश्चित इनकार उपलब्ध कराने की इस्तह्सा की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपाय नहीं।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मरीमाति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 21 जनवरी 2011 से सरकारी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 10,50,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्गित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि नव ब्याज कुल 10,31,384.35/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 18.06.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अप्रार्थी मन्जू सोनी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 93-ए, भरत विहार-ए आवासीय योजना, जामडोली, आगरा रोड, पोल्ट्री फार्म के पास, जयपुर क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।  
आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।  
आदेश आज दिनांक 15.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



*(राजन विशाल)*  
जिला मैजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर